

145
१२५

पत्रावली पेश। प्राची व वकील प्राची को
वार - 2 आवाज लगाई गई। वार - 2
आवाज लगाने के पश्चात भी प्राची
व वकील प्राची न्यायालय में हाजिर
नहीं आए। अतः प्राची का पार्थना
पत्र अन्वेषित द्वारा 212 RTI अधिनियम
द्वारा अधिनियम पेशी में खारिज
किया जाता है पत्रावली फॉर्मल
सुमार होकर नम्बर से कम होकर
बारिखल दफ्तर है। ~~Signature~~

उपब्रण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)